संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र.01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2019/1540 भोपाल, दिनांक 13/08/2019

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन,भोपाल
मध्यप्रदेश ।

विषय :– स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को उच्च अध्ययन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ :– बंधपत्र चिकित्सकों के संदर्भ में, उच्च अध्ययन के संदर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय निर्णय।

निम्नलिखित बंधपत्र स्नातकोत्तर (डिग्रीधारी) चिकित्सकों द्वारा एम0सी0एच0 कोर्स में चयन की सूचना देते हुये अनापत्ति चाही है। इन समस्त बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा बंधपत्र की एक वर्षीय अनिवार्य सेवा पूर्ण नहीं की है।

सूची में उल्लेखित चिकित्सकों के नाम के सम्मुख दर्शाये गये न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अलग–अलग तिथि में आदेश पारित कर नियोक्ता द्वारा अनापत्ति जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निम्न चिकित्सकों को बंधपत्र से सशर्त छूट प्रदान की जाती है, बंधपत्र चिकित्सकों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	चिकित्सक का नाम डिग्री/डिप्लोमा प्रवेश/उत्तीर्ण वर्ष	चिकित्सा महाविद्यालय	याचिका क्र. दिनांक	विषय
1	Dr Neha Gupta MS(Surgery) 2016- 2019	Indore Medical College	14799/2019	NEET-SS-2019 MCH//DNB
2	Dr Aditi Sharma MS(Surgery) 2019 2016/2019	Indore Medical College	14799/2019	NEET-SS-2019 MCH//DNB

अतः सूची में उल्लेखित बंधपत्र चिकित्सकों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में उल्लेखित शर्तों पर बंधपत्र स्नातकोत्तर चिकित्सकों को एम0सी0एच0/डी0एम0/डी.एन.बी. पाठ्यक्रम कोर्स पूर्ण करने हेतु एक वर्ष की अनिवार्य सेवा में छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है , संचालक, चिकित्सा शिक्षा कृपया :–

1/ यह सुनिश्चित करें कि बंधपत्र चिकित्सक एम0सी0एच0/डी0एम0/डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत, चिकित्सा महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा करवाकर एवं इस संबंध में अधिष्ठाता से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में उपस्थित होंगे तथा 15 दिवस की समय–सीमा में विभाग द्वारा आवंटित पदस्थापना स्थल पर एक वर्ष की अनिवार्य सेवा पर अपनी उपस्थिति देंगे। इस हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आवश्यक शपथ–पत्र/बंधपत्र संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सक से निष्पादित करावें।

2/ मूल अभिलेखों का उपयोग एम0सी0एच0/डी0एम0/डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में भर्ती हेतु ही किया जावेगा एवं इसका उपयोग अन्य किसी संस्था में सेवा/पाठ्यक्रम हेतु नहीं किया जावेगा।

3/ यदि किसी कारणवश एम0सी0एच0/डी0एम/डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलता तो अनिवार्यतः समस्त मूल अभिलेख संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में काउंसलिंग की अंतिम तिथि से 15 दिवस की समय सीमा में जमा किया जाना आवश्यक होगा एवं निष्पादित किये गये बंध पत्र के अनुरूप 01 वर्ष की बंधपत्र सेवा पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में चिकित्सा महाविद्यालय, बंधपत्र चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होंगे ।

4/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में दी गई शर्तो के अनुसार इन चिकित्सकों के अभिभावक/गार्डियन से तथा संबंधित बंधपत्र चिकित्सक से शपथ पत्र पर बंधपत्र तथा अण्डरटेकिंग लिया जाने तथा मा0 न्यायालय के आदेश में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करने हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार इन बंधपत्र चिकित्सकों, अभिभावक/गार्डियन से शपथ पत्र पर बंधपत्र तथा अण्डरटेकिंग संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय /संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया जाना अनिवार्य होगा, तद्अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ कौलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

पृ0 क्र./01जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2019/1501
भोपाल, दिनांक 13/08/2019

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल,म0प्र0।
4. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
5. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी, एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र.01 / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 2019 / 1536 भोपाल, दिनांक 16 / 08 / 2019

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुडा भवन,भोपाल
मध्यप्रदेश ।

विषय :– स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को उच्च अध्ययन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ :– बंधपत्र चिकित्सकों के संदर्भ में, उच्च अध्ययन के संदर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय निर्णय।

निम्नलिखित बंधपत्र स्नातकोत्तर (डिग्रीधारी) चिकित्सकों द्वारा एम0सी0एच0 कोर्स में चयन की सूचना देते हुये अनापत्ति चाही है। इन समस्त बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा बंधपत्र की एक वर्षीय अनिवार्य सेवा पूर्ण नहीं की है।

सूची में उल्लेखित चिकित्सकों के नाम के सम्मुख दर्शाये गये न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अलग–अलग तिथि में आदेश पारित कर नियोक्ता द्वारा अनापत्ति जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निम्न चिकित्सकों को बधपत्र से सशर्त छूट प्रदान की जाती है, बंधपत्र चिकित्सकों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	चिकित्सक का नाम डिग्री / डिप्लोमा प्रवेश / उत्तीर्ण वर्ष	चिकित्सा महाविद्यालय	याचिका क्र. दिनांक	विषय
1	Dr Pravesh Mathur MS(Surgery) 2018	GMC Bhopal	14949/2019	NEET-SS-2019 DM/DNB
2	Dr Harshal Pamecha MD (Medicine) 2016/2019	NSCB Jabalpur	16136/2019	NEET-SS-2019 DM

अतः सूची में उल्लेखित बंधपत्र चिकित्सकों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में उल्लेखित शर्तो पर बंधपत्र स्नातकोत्तर चिकित्सकों को एम0सी0एच0 / डी0एम0 / डी.एन.बी. पाठ्यक्रम कोर्स पूर्ण करने हेतु एक वर्ष की अनिवार्य सेवा में छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है , संचालक, चिकित्सा शिक्षा कृपया :–

1 / यह सुनिश्चित करें कि बंधपत्र चिकित्सक एम0सी0एच0 / डी0एम0 / डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत, चिकित्सा महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा करवाकर एवं इस संबंध में अधिष्ठाता से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में उपस्थित होंगे तथा 15 दिवस की समय–सीमा में विभाग द्वारा आवंटित पदस्थापना स्थल पर एक वर्ष की अनिवार्य सेवा पर अपनी उपस्थिति देंगे। इस हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आवश्यक शपथ–पत्र / बंधपत्र संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सक से निष्पादित करावें।

2 / मूल अभिलेखों का उपयोग एम0सी0एच0 / डी0एम0 / डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में भर्ती हेतु ही किया जावेगा एवं इसका उपयोग अन्य किसी संस्था में सेवा / पाठ्यक्रम हेतु नहीं किया जावेगा।

3 / यदि किसी कारणवश एम0सी0एच0 / डी0एम / डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलता तो अनिवार्यतः समस्त मूल अभिलेख संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में काउंसलिंग की अंतिम तिथि से 15 दिवस की समय सीमा में जमा किया जाना आवश्यक होगा एवं निष्पादित किये गये बंध पत्र के अनुरूप 01 वर्ष की बंधपत्र सेवा पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में चिकित्सा महाविद्यालय, बंधपत्र चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होंगे ।

4/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में दी गई शर्तो के अनुसार इन चिकित्सकों के अभिभावक/गार्डियन से तथा संबंधित बंधपत्र चिकित्सक से शपथ पत्र पर बंधपत्र तथा अण्डरटेकिंग लिया जाने तथा मा0 न्यायालय के आदेश में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करने हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में दी गई शर्तो के अनुसार इन बंधपत्र चिकित्सकों, अभिभावक/गार्डियन से शपथ पत्र पर बंधपत्र तथा अण्डरटेकिंग संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय /संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया जाना अनिवार्य होगा, तद्अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

16.8.19

(डॉ. बी0डी0खरे)
उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

पृ0 क्र./01जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2019/1537
भोपाल, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल,म0प्र0।
4. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
5. सम्बंधित चिकित्सकों की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी, एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।

16.8.19

उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश